न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 62/2018

तारीख दायरा–31.07.2018
तारीख निर्णय–06.11.2019

1. श्री सरिया पिता तख्ता भील निवासी ओबराकलां तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री कालु पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
2. श्री वजेराम पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
3. मोवनी पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
4. नोजकी पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
5. भुरकी पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
6. देवली पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
7. कंकुडी पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
8. प्यारी पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
9. मु. लालकी बाई बेवा रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
10. श्री डुंगा पिता हरजी भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
11. मु. सरसी बेवा हरजी भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा खाखडी पटवार क्षेत्र मजावडी में आराजी नम्बर 168 रकबा 0.0700, 169 रकबा 0.0450, 170 रकबा 0.0750, 174 रकबा 0.0150, 175 रकबा 0.0300, 176 रकबा 0.0200, 177 रकबा 0.350 किता 7 कुल रकबा 0.2900 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर वादी एंव प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदार होकर अपने– अपने हिस्से पर काबिज हो कृषि कार्य करते आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में

ण्ड अधिकारी
ा, जिला उदयपुर

कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अत वादी का वाद स्वीकार किया जा कर वाद ग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया । प्रारभिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाडा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया ।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा खाखडी पटवार क्षेत्र मजावडी आराजी नम्बर 168/1 रकबा 0.0325, 169मी रकबा 0.0400 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0725 है0 भूमि का श्री सरीया पिता तख्ता भील ओबराकला को खातेदार धोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 170 रकबा 0.0750, 174 रकबा 0.0150, 175 रकबा 0.0300, 176 रकबा 0.0200, 177 रकबा 0.0350, 168मी0 रकबा 0.0375, 169/1 रकबा 0.0030 एवं 169/2 रकबा 0.0020 है0 कुल किता 8 रकबा 0.2175 है0 भूमि का कालू, वजेराम, मोवनी, नोजकी, भुरकी, देवली, कंकुडी, प्यारी पिता रामा मु. लालकी बाई बेवा रामा 1/3 डुगा पिता हरजी 1/3 मु. सरसी बेवा हरजी 1/3 भील को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। एतद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.11.19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जि. उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारीः– श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 62/2018

तारीख निर्णय–06.11.2019

1. श्री सरिया पिता तख्ता भील निवासी ओबराकलां तहसील गोगुन्दा। ....वादी

बनाम

1. श्री कालु पिता रामा भील निवासी खाखडी तहसील गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 06.11.2019 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा खाखडी पटवार क्षेत्र मजावडी आराजी नम्बर 168/1 रकबा 0.0325, 169मी रकबा 0.0400 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0725 है0 भूमि का श्री सरीया पिता तख्ता भील ओबराकला को खातेदार धोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 170 रकबा 0.0750, 174 रकबा 0.0150, 175 रकबा 0.0300, 176 रकबा 0.0200, 177 रकबा 0.0350, 168मी0 रकबा 0.0375, 169/1 रकबा 0.0030 एवं 169/2 रकबा 0.0020 है0 कुल किता 8 रकबा 0.2175 है0 भूमि का कालू, वजेराम, मोवनी, नोजकी, भुरकी, देवली, कंकुडी, प्यारी पिता रामा मु. लालकी बाई बेवा रामा 1/3 डुगा पिता हरजी 1/3 मु. सरसी बेवा हरजी 1/3 भील को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।एतद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा जिला उदयपुर